



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:-249-औस/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS)

दिनांक 30 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-5830-औ०सं०/2008 दिनांक 31.12.2008 द्वारा लागू सी०जी०एच०एस०-2006 की मानक दरों का पुनरीक्षण करते हुये सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरें कारपोरेशन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन के आदेश सं०-5830-औ०सं०/2008-11(28)ए०एस०/04 दिनांक 31.12.2008 में उल्लिखित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में से निम्नलिखित 05 चिकित्सालयों की मान्यता की विस्तारित अवधि दिनांक 30.06.2018 तक है:-

1. कैलाश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, नोएडा।
2. मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, नोएडा।
3. यशोदा हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेण्टर गाजियाबाद।
4. हेरिटेज हास्पिटल, वाराणसी।
5. डिवाइन हार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, लखनऊ।

निदेशक मण्डल की दिनांक 26.12.2017 को हुई 134वीं बैठक के बिन्दु सं०-134(15) में लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में लागू सी०जी०एच०एस० 2006 की मानक दरों का पुनरीक्षण पूर्व से आदेशित चिकित्सा सुविधा यथा-हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सी०जी०एच०एस०-2014 की दरें निर्धारित करने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं०-S.11045/36/2012-CGHS(HEC) दिनांक 01.10.2014 द्वारा लागू सी०जी०एच०एस० 2014 की मानक दरों के अनुसार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है।

2. उपर्युक्त के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर अन्य मण्डलों में स्थित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों को सी०जी०एच०एस० 2014 की मानक दरों का 90% ही अनुमन्य होगा।
3. कारपोरेशन के अन्य आदेश यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-249-औस/2018, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

कमश.....2..

6. निदेशक (ऑपरेशन)/ (प्रोजेक्ट)/ (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ जॉच समिति-प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. समस्त अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक (लेखा/ वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. म०प्र० (औ०सं०)/ उ०म०प्र० (औ०सं०)/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/ पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके पत्र सं०-26/ पाकालि/ बैठक(134-15)/ 2018 दिनांक 09 जनवरी, 2018 के क्रम में सूचनार्थ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को आदेश की प्रति संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।
15. प्रबन्धकगण - सूचीबद्ध 05 चिकित्सालय।
16. विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. कट फाइल।

Nat Mattu
(नवनीत माथुर) 30.1.18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी